समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी **श्री नन्दकिशोर पांडेय पे0 श्री सत्य ना0 पांडेय सा0 मरौना पो0 दूर्गाडीह थाना विकमगंज जिला रोहतास, वर्तमान पता- अवर निरीक्षक आरक्षी,** चौसा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित किया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 268/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी. बोर रायफल **अनुज्ञप्ति सं0-02/82** को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाव अब तक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी किया गया था। अंचल अधिकारी, चौसा एवं थानाध्यक्ष, चौसा के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 118 दिनांक 19-03-2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 140/निर्वा0, दिनांक 30.03.2014 के द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं रहने, शस्त्र विहीन रहने एवं शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहने के कारण इनके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। ये वर्ष 2002 से लेकर अद्यतन समय तक शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकृत करने एवं शस्त्र कय के लिए अवधि विस्तार हेतु कोई प्रयास ही नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं रह गई है और न ही कोई जान-माल का खतरा है। समुचित अवसर दिए जाने के वावजूद भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना एवं शस्त्र कय नहीं किया जाना, यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन एवं मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए **नन्दकिशोर पांडेय पे0 श्री सत्य नारायण पांडेय सा0 मरौना पो0 दूर्गाडीह थाना विकमगंज जिला रोहतास, वर्तमान पता- अवर निरीक्षक आरक्षी,** चौसा के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-02/82(चौसा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से ''रद्द'' किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में ''रद्द'' प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 198 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 9-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री नन्दकिशोर पांडेय पे0 श्री सत्य नारायण पांडेय सा0 मरौना पो0 दूर्गाडीह थाना विकमगंज जिला रोहतास, वर्तमान पता- अवर निरीक्षक आरक्षी,** चौसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

09/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।